अध्याय-13

अधिनिर्णयों, डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन

Chapter-XIII

Execution of awards, decrees, orders and decisions

99. भार का प्रवर्तन— अध्याय 10 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किन्तु इस अधिनियम में उपबंधित वसूली के किसी अन्य ढंग पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रजिस्ट्रार या इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा सशक्त कोई भी व्यक्ति, स्वप्रेरणा से या किसी सहकारी सोसाइटी के आवेदन पर यह निदेश देते हुए आदेश कर सकेगा कि किसी भी सदस्य या भूतपूर्व सदस्य या मृत सदस्य द्वारा या उसके प्रत्याभूतिदाता द्वारा सोसाइटी को देय किसी ऋण या बकाया मांग का संदाय, उस संपत्ति या उसमें के किसी हित के, जो उस सोसाइटी को बंधकित की जाती है या जो धारा 38 या धारा 39 के अधीन भार के अध्यधीन हो, विक्रय द्वारा कर लिया जाये :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उस सदस्य, भूतपूर्व सदस्य पर या मृत सदस्य के नामनिर्देशिती, वारिस या विधिक प्रतिनिधि पर या उसके प्रत्याभूतिदाता पर, या ऐसे व्यक्ति पर, जिसका बंधक सम्पत्ति में कोई हित या उस पर कोई भार हो या, यथास्थिति, उस बंधककर्ता के किसी लेनदार पर, जिसने सम्पत्ति के प्रशासन के किसी वाद में बंधक सम्पत्ति के विक्रय के लिए कोई डिक्री अभिप्राप्त कर ली हो, आवेदन का कोई नोटिस तामील न कर दिया हो और,-

(i) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऋण या मांग के प्रति विवाद करने की दशा में ऐसा विवाद धारा 60 के अधीन अंतिम रूप से न्यायनिर्णीत न हो जाये, या

(ii) ऐसे व्यक्ति द्वारा ऋण या मांग के प्रति विवाद न करने की दशा में वह यथापूर्वोक्त नोटिस की तामील की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर ऐसे ऋण या मांग का संदाय करने में असफल रहे।

99. Enforcement of charge.— Notwithstanding anything contained in Chapter X, or any other law for the time being in force, but without prejudice to any other mode of recovery provided in this Act, the Registrar or any person empowered by the Registrar in this behalf, may, on his own motion or on the application of a co-operative society, make an order directing the payment of any debt or outstanding demand due to the society by any member or past member or deceased member or by guarantor thereof, by sale of the property or any interest therein, which is mortgaged to the society or is subject to a charge under section 38 or section 39:

Provided that no order shall be made under this section unless the member, past member or the nominee, heir or legal representative of the deceased member or guarantor thereof, or any person who has any interest in or charge upon the mortgaged property or any creditor of the mortgager who has, in a suit for administration of the estate, obtained a decree for sale of mortgaged property, as the case may be, has been served with a notice of the application and :-

(i) where such person disputes the debt or demand, such dispute is finally adjudicated under Section 60; or

(ii) where such person does not dispute the debt or demand, he fails to pay such debt or demand within thirty days from the date of the service of such notice as aforesaid.

100. आदेशों आदि का निष्पादन— (1) संपत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 4) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 57 की उप-धारा (2) के अधीन या धारा 99 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश, धारा 60 के अधीन किया गया प्रत्येक विनिश्चय या अधिनिर्णय, धारा 64 के अधीन समापक द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश और धारा 105 या 106 के अधीन अधिकरण द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश और धारा 104 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, यदि उसका पालन न हुआ हो तो,-

(क) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र दिये जाने पर, किसी सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जायेगा और उसे उसी रीति से निष्पादित किया जायेगा जैसे ऐसे न्यायालय की किसी डिक्री को किया जाता है; या

(ख) भू-राजस्व की बकाया की वसूली के लिए तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार और नियमों के अधीन निष्पादित किया जायेगा:

परन्तु किसी धनराशि की वसूली ऐसी रीति से किये जाने हेतु आवेदन-

(i) कलक्टर को प्रस्तुत किया जायेगा और उसके साथ रजिस्ट्रार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र भी होगा;

(ii) आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय में नियत तारीख से, और यदि ऐसी कोई तारीख नियत नहीं की गयी हो तो, उस आदेश, विनिश्चय या, यथास्थिति, अधिनिर्णय की तारीख से, बारह वर्ष के भीतर-भीतर प्रस्तुत किया जायेगा;

(ग) रजिस्ट्रार या उसके अधीनस्थ ऐसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, जिसे इस संबंध में रजिस्ट्रार द्वारा सशक्त किया गया हो, उस व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी की, जिसके विरुद्ध वह आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय प्राप्त किया गया हो या पारित किया गया हो, किसी संपत्ति को कुर्क करके और बेचकर या बिना कुर्क किये ही बेचकर निष्पादित किया जायेगा।

(2) सम्पत्ति का कोई प्राइवेट अन्तरण या परिदान या उस पर कोई विल्लंगम या भार जो, रजिस्ट्रार या, यथास्थिति, उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा उप-धारा (1) के अधीन प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के पश्चात् कृत या सृजित हो, उस सोसाइटी के विरुद्ध जिसके आवेदन पर उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया था, अकृत और शून्य होगा।

100. Execution of orders, etc.— (1) Notwithstanding anything contained in the Transfer of Property Act, 1882 (Central Act 4 of 1882) or any other law for the time being in force, every order made by the Registrar under sub-section (2) of Section 57 or under Section 99, every decision or award made under Section 60, every order made by the liquidator under Section 64 and every order made by the Tribunal under Section 105 or 106 and every order made under Section 104 shall, if not carried out :-

(a) on a certificate signed by the Registrar, or any person authorised by him in this behalf, be deemed to be a decree of a civil court and shall be executed in the same manner as a decree of such court; or

(b) be executed according to the law and under the rules for the time being in force for the recovery of arrears of land revenue :

Provided that any application for the recovery in such manner of any sum shall be made—

(i) to the Collector and shall be accompanied by a certificate signed by the Registrar or by any person authorised by him in this behalf;

(ii) within twelve years from the date fixed in the order, decision or award and if no such date is fixed, from the date of the order, decision or award, as the case may be;

(c) be executed by the Registrar or any other person subordinate to him empowered by the Registrar in this behalf, by the attachment and sale or sale without attachment, of any property of the person or a co-operative society against whom the order, decision or award has been obtained or passed.

(2) Any private transfer or delivery of, or encumbrance or charge on, property made or created after the issue of the certificate of the Registrar or any person authorised by him, as the case may be, under sub-section (1), shall be null and void as against the society on whose application the said certificate was issued.

101. अधिनिर्णय या आदेश के पूर्व सम्पत्ति की कुर्की— यदि रजिस्ट्रार का किसी आवेदन, रिपोर्ट या जांच से या अन्यथा समाधान हो जाये कि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके विरुद्ध दिये जाने वाले किसी आदेश, विनिश्चय या अधिनिर्णय के प्रवर्तन में देरी करने या बाधा पहुंचाने के आशय से-

(क) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है, या

(ख) अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग को रजिस्ट्रार, मध्यस्थ या, यथास्थिति, समापक की अधिकारिता से हटाने वाला है,

तो वह, जब तक कि पर्याप्त प्रतिभूति न दे दी जाये, उक्त सम्पत्ति की कुर्की का निदेश दे सकेगा और ऐसी कुर्की का प्रभाव वैसा ही होगा मानो वह किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा की गयी हो।

101. Attachment of property before award or order.— If the Registrar is satisfied on an application, report, inquiry or otherwise, that any person with intent to delay or obstruct the enforcement of any order, decision or award that may be made against him under the provisions of this Act :-

(a) is about to dispose of the whole or any part of his property, or

(b) is about to remove the whole or any part of his property from the jurisdiction of the Registrar, the Arbitrator or Liquidator, as the case may be,

he may, unless adequate security is furnished, direct the attachment of the said property and such attachment shall have the same effect as if made, by a competent civil court.

102. सरकार को देय धनराशियों की वसूली— (1) किसी सहकारी सोसाइटी या किसी सहकारी सोसाइटी के किसी अधिकारी या सदस्य या भूतपूर्व सदस्य द्वारा इस रूप में सरकार को देय समस्त धनराशियां, जिनमें इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन सरकार को दिलवाया गया कोई खर्चा भी सम्मिलित है, रजिस्ट्रार द्वारा इस निमित्त प्रमाण पत्र दिये जाने पर उसी रीति से वसूल की जा सकेगी जैसे कि भू-राजस्व की बकाया की जाती है।

(2) किसी सोसाइटी द्वारा सरकार को देय और उप-धारा (1) के अधीन वसूलीय धनराशियां, प्रथमत: सोसाइटी की सम्पत्ति से, द्वितीयत: उस सोसाइटी की दशा में, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित है, उनके दायित्व की सीमा के अध्यधीन रहते हुए उसके सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से या मृत सदस्यों की सम्पदा में से, और तृतीयत: अन्य सोसाइटियों की दशा में, उनके सदस्यों या भूतपूर्व सदस्यों से या मृत सदस्यों की सम्पदा में से वसूल की जा सकेंगी:

परन्तु भूतपूर्व सदस्यों और मृत सदस्यों की सम्पदाओं का दायित्व सभी मामलों में धारा 23 के उपबंधों के अध्यधीन होगा।

102. Recovery of sums due to Government.— (1) All sums due from a co-operative society or from an officer or member or past member of a co-operative society as such to the Government including any costs awarded to the Government under any provision of this Act may, on a certificate issued by the Registrar in this behalf, be recovered in the same manner as arrears of land revenue.

(2) Sums due from a society to the Government and recoverable under sub-section (1) may be recovered, firstly from the property of the society; secondly, in the case of a society the liability of the members of which is limited, from the members, past members, or the estates of deceased members, subject to the limit of their liability; and thirdly, in the case of other societies, from the members, past members or the estates of deceased members:

Provided that the liability of past members and the estates of deceased members shall in all cases be subject to the provisions of Section 23.

103. जो सम्पत्ति बेची न जा सके उसका अन्तरण— (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब धारा 99 के अधीन ऐसे आदेश के, जिसका निष्पादन चाहा गया है, निष्पादन में कोई सम्पत्ति क्रेताओं के अभाव में बेची न जा सके, यदि ऐसी सम्पत्ति व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के अधिभोग में हो या जो रजिस्ट्रार या धारा 4 के अधीन उसकी सहायतार्थ नियुक्त किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के, जिसे/जिन्हें ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, के द्वारा धारा 99 के अधीन प्रमाणपत्र जारी करने के पश्चात् व्यतिक्रमी द्वारा सृजित किसी हक के अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति के अधिभोग में हो तो, न्यायालय या, यथास्थिति, कलक्टर, रजिस्ट्रार की पूर्व सहमति से, यह निदेश दे सकेगा कि उक्त सम्पत्ति या उसका कोई भाग उस सोसाइटी को अंतरित कर दिया जाये जिसने उक्त आदेश के निष्पादन हेतु आवेदन किया है और यह कि उक्त सम्पत्ति या उसका भाग विहित रीति से सोसाइटी को परिदत्त कर दिया जाये।

(2) ऐसे नियमों के, जो इस निमित्त बनाये जायें, और किसी व्यक्ति के पक्ष में विधिपूर्वक अस्तित्वयुक्त किसी अधिकार, विल्लंगमों, भार या साम्याओं के अध्यधीन रहते हुए ऐसी सम्पत्ति/बंधकित सम्पत्ति या उसका भाग उक्त सोसाइटी द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जिन पर न्यायालय या, यथास्थिति, कलक्टर और उक्त सोसाइटी के बीच करार किया जाये, धारित किया जायेगा:

परन्तु रजिस्ट्रार द्वारा या धारा 4 के अधीन नियुक्त तथा ऐसे प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु सशक्त किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा धारा 99 के अधीन प्रमाण पत्र जारी किये जाने के पश्चात्, किया गया किसी सम्पत्ति का प्राइवेट अंतरण या, यथास्थिति, परिदान या उस पर कृत या सृजित विल्लंगम या भार, उस सोसाइटी के विरुद्ध अकृत और शून्य होगा।

103. Transfer of property which can not be sold.— (1) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, when in any execution of an order sought to be executed under Section 99, any property cannot be sold for want of buyers, if such property is in the occupancy of the defaulter or of some person on his behalf or of some person claiming under a title created by the defaulter subsequent to the issue of the certificate under Section 99 by the Registrar or any person or persons appointed to assist him under section 4, on whom the power to sign such certificate shall have been conferred, the court or the Collector, as the case may be, may with the previous consent of the Registrar, direct that the said property or any portion thereof shall be transferred to the society which has applied for the execution

of the said order and that the said property or the portion shall be delivered to the society in the prescribed manner.

(2) Subject to such rules as may be made in this behalf and to any right, encumbrances, charges or equities lawfully subsisting in favour of any person, such property/mortgaged property or portion thereof shall be held by the said society on such terms and conditions as may be agreed upon between the court or the Collector, as the case may be, and the said society :

Provided that any private transfer or delivery of, or encumbrance or charge on, the property made or created after the issue of the certificate by the Registrar or any person or persons appointed and empowered under Section 4 to sign such certificates, as the case may be, under Section 99 shall be null and void as against the said society.

❑ ❑